संख्या- 7/2015/57/71-1-2015-जी-69/2010

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 27 जनवरी, 2015

विषय:- जनपद आजमगढ़ में सुपर फैसिलिटी हास्पिटलयुक्त मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु 20.618 एकड़ भूमि के प्रतिकर की बढ़ी हुई धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2014/641, दिनॉक 30 दिसम्बर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद आजमगढ़ में सुपर फैसिलिटी हास्पिटलयुक्त मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु 20.618 एकड़ भूमि के प्रतिकर की बढ़ी हुई धनराशि रू0 5,93,32,695/- (रू0 पॉच करोड़ तिरानबे लाख बत्तीस हजार छः सौ पचानबे मात्र) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किए जाने की सहमति श्री राज्यपाल सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि भूमि अर्जन से संबंधित बढ़े हुए प्रतिकर के भुगतान के लिए है। किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि एकमुश्त आहरित न कर यथा आवश्यकतानुसार आहरित कर धनराशि को विशेष भूमि अध्यासि अधिकारी के खाते में रखकर नियमानुसार व्यय किया जायेगा।
3- स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के माध्यम से जिलाधिकारी, आजमगढ़/अपर जिला अधिकारी, भूमि अध्यासि, आजमगढ़ को भूमि अर्जन/अधिग्रहण अधिनियमों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार भूति के प्रतिकर की बढ़े हुए धनराशि के भुगतान हेतु जिलाधिकारी के यथा निर्देश का पालन करते हुए जमा की जायेगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-51-राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, आजमगढ़-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव

संख्या:-7/2015/57(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, आजमगढ़।
4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आजमगढ़।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in